

NHB(ND)/ROD/SCB/Refinance Circular 1/2015-16
Dated : 07-01-2016



To All Scheduled Commercial Banks

Madam / Sir,

Refinance Circular No. 1/2015-16
Rural Housing Fund - Modifications in Interest Rate

1. The interest rate on refinance extended under the Rural Housing Fund (RHF) has been revised with immediate effect. The revised rate and on-lending cap, which shall be applicable on all refinance disbursements made under the Rural Housing Fund on or after the date of this circular, are as under :

Loan Size	Interest Rate on Refinance	On-lending Cap
Upto ₹15 lakhs	6.12% p.a.	Base Rate

Accordingly, the Scheduled Commercial Banks are advised to ensure that for all refinance claims made under the Rural Housing Fund on or after the date of this Circular, only those loans are included where the on-lending rate to the borrower(s) does not exceed the Base Rate of the respective Bank.

2. All other terms and conditions under the Rural Housing Fund refinance scheme as applicable to Scheduled Commercial Banks as communicated from time to time shall continue to be applicable.
3. Details of funds available with NHB is provided on our website i.e. www.nhb.org.in.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)
Deputy General Manager
Refinance Operations

भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष नं. पी. बी. एक्स-011-2464 9031-35 फ़ैक्स : 011-2464 6988, 2464 9041
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई-मेल : ho@nhb.org.in तार निवास बैंक

Wholly owned by Reserve Bank of India
Core 5-A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : PBX 011-2464 9031-35 Fax : 011-2464 6988, 2464 9041
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in Gram : NIWAS Bank

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”

एनएचबी (एनडी)/आरओडी/एससीबी/पुनर्वित्त परिपत्र 1/2015-16

दिनांक : 07-01-2016

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को

महोदया / महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र सं0 1/2015-16

ग्रामीण आवास निधि - ब्याज दर में संशोधन

1. ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ़) के तहत प्रदत्त पुनर्वित्त पर ब्याज दर तत्काल प्रभाव से संशोधित की गयी है। इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात ग्रामीण आवास निधि के तहत सभी पुनर्वित्त संवितरणों पर लागू होने वाली संशोधित दर तथा ऋण दर की उपरि सीमा निम्नानुसार है :

ऋण राशि	पुनर्वित्त पर ब्याज दर	ऋण दर की उपरि सीमा
₹15 लाख तक	6.12% प्रतिवर्ष	आधार दर

तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात ग्रामीण आवास निधि के तहत किये गए सभी पुनर्वित्त दावों हेतु केवल वे ऋण समाविष्ट किये गए हैं जिनमें उधारकर्ता(ओं) को ऋण दर सम्बंधित बैंक की आधार दर से अधिक नहीं है।

2. ग्रामीण आवास निधि पुनर्वित्त योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए यथा लागू और समय समय पर यथा संसूचित अन्य सभी नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी।
3. एनएचबी के साथ उपलब्ध धन की विवरण हमारी वेबसाइट यानी www.nhb.org.in पर प्रदान की जाती है।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,



(वी0 वैदीश्वरण)

उप महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन